Revised Synopsis

संशोधित शोध प्रारूप

परिवार के बदलते प्रतिमान एवं महिलाओं की भूमिका

(बीकानेर शहर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

The Changing Pattern of Family and Role of Women

(A Sociological Analysis With Special Reference to Bikaner City)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)

की

डॉक्टर ऑफ फिलोसफी (समाज-विज्ञान)

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रारूप

शोध निर्देशक :
डॉ. प्रताप पिंजानी
सह आचार्य
समाजशास्त्र विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

शोधार्थी :
अशोक कुमार
सहायक आचार्य
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय डूँगर महाविद्यालय,
बीकानेर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

2017

APPENDIX - IV-A

Format for Outline (Synopsis) of Proposed Research work

(to be supplied in Four copies)

(Reference Ord. 124.11)

1. Nameof Scholar (In English) ASHOK KUMAR

   (In Hindi) अशोक कुमार

2. Title of the Research Work :

   (In English) The changing pattarn of family and Role of women (A Sociological Analysis with Sapecial Reference to Bikaner city)

   (In Hindi) परिवार के बदलते प्रतिमान एवं महिलाओं की भूमिका (बीकानेर शहर के विशेष संदर्भ मे एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

3. Location

   a. Institution/Department where the work is to be done S.P.C Govt College, Ajmer.

   b. Geographical area of Investigation, if any. Bikaner, city.

4. Introduction Importance of Proposed Investigation, Objective.
5. Review (Work already done on the subject of proposed Research Study.)
6. Research Gaps identified in the proposed field of investigation. (Based onthe review)
7. Major Hypothesis, if any
8. Research methodology.
9. List of references cited.

अशोक कुमार

Signature of the Candidate with date

Outline Approved

[signature] 6.7.2018

Name and Signature of supervisor with date & seal.

Head
Department of Sociology
Government College, Ajmer

4. **Importance of proposed Investigation :**

प्रस्तावित अनुसंधान का महत्त्व :

वर्तमान भारतीय समाज में परिवार में महिलाओं की भूमिका का व्यापक महत्त्व हैं। समाजशास्त्रीय शोध संकलन में समाज वैज्ञानिकों द्वारा महिला का अध्ययन समाज की दशा, दिशा एवं सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक सास्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की बदलते प्रतिमानों पर अनेक शोध कार्य हुए हैं, परन्तु समकालीन परिवार में महिलाओं की भूमिका विषय को लेकर कोई विशेष कार्य अब तक नहीं हुआ है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की परिवार में भूमिका के प्रति व्यापक जागृति आई है। परिवार एक विशिष्ट संस्था हैं क्योंकि यह एक ही समय पर एक निजी और एक सार्वजनिक संस्था है। विभिन्न संदर्भों में यह सबसे निजत्व से लेकर सबसे सार्वजनिक संस्था का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही परिवार एक सार्वभौमिक संस्था भी है। परिवार की दिन–प्रतिदिन की व्यवहार गतिशीलता में इतने अधिक अन्तर एवं बदलाव हैं कि हम उन्हें कुछ निश्चित संरचनात्मक सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझ सकते। इसी कारण परिवार परम्परागत संरचनात्मक मानवशास्त्र में बहुत अधिक महत्त्व स्थापित नहीं कर सका। परन्तु इन सबके बावजूद परिवार एक ऐसा धरातल हैं जहाँ यौनिकता तथा विनिमय, संस्तरण एवं पारस्परिक प्रभावमूलक सम्बन्धों के संरचनात्मक सिद्धान्त निर्मित, नियमित एवं पुनर्निर्मित होते हैं और समय–समय पर उन्हें परिवार में दिन–प्रतिदिन का जीवन 'आदर्श' एवं यथार्थ के बीच संतुलन को दर्शाता है।

भारतीय परिवार की साहित्यिक अवधारणाओं से सम्बद्ध अनेक वैचारिक पक्ष ब्रिटिश विधिक पुनर्व्याख्याओं के कारण और अधिक जटिल हो जाते हैं। वंशानुगत बुद्धिजीवी अथवा साहित्यकारों की चूँकि अपनी परम्पराएँ, अभिवृत्तियाँ, पूर्वाग्रह एवं रूचि थी, जिससे भारतीय परिवार के विषय में की गई व्याख्याएँ एवं टिप्पणियाँ भी प्रभावित हुई हैं। पारिवारिक समूह एवं गृहस्थी की अवधारणाएँ परिवार के

प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं और इसी के द्वारा परिवार के जीवन्त यथार्थ का सामाजशास्त्रीय विश्लेषण सम्भव हो पाता हैं। भारतीय साहित्यिक परम्परा में परिवारों को जिस प्रकार लिपिबद्ध एवं विवेचित किया गया हैं, वैसा वर्णन दक्षिण भारत में विशेषतः मातृवंशीय नायरों के संयुक्त परिवार से मेल नहीं खाता।

इस शोध द्वारा महिलाओं की परिवार के संरचनावादी, प्रकार्यवादी, अन्तःक्रियावादी पक्षों की जानकारी मिलेगी। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक आदि भूमिका एवं महत्त्व का बोध होगा। इस प्रकार शोध विषय पूर्णतया नवीन, मौलिक एवं अनछुआ है जो मात्र सूचनाओं को संकलित कर विवणात्मक अध्ययन न होकर सम्बन्धित परिवार में समाहित सामाजिक मूल्य का गहन अध्ययन होगा। शोध कार्य अन्त में महत्त्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। अतः शोध कार्य अकादमिक क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ेगा, जिससे अन्य शोधार्थी भी लाभान्वित होंगे।

परिवार को अपने सातत्य और नैरन्तर्य को बनाए रखना चाहिए। नैरन्तर्य की बहुत बड़ी परम्परा वंश है। वंश के आधार पर परिवार के सदस्यों को पहचाना जाता हैं। वंश पिता या माता की ओर से चलता है। माता के वंश पर चलने वाले परिवार मातृवंशीय परिवार कहलाता हैं। जब पुरुष घर के कार्यों के लिए बाहर कमाने जाता था तब महिला ही घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती थी जिससे बच्चे घर में माता को ही जानते थे इस कारण परिवारों में मातृसत्तात्मक परिवारों का उदय हुआ। केन्द्रक परिवार को यदि प्रारम्भिक परिवार मान लेते हैं तो इसमें परिवार संबंधी विश्लेषण में कठिनाई में पड़ जायेंगे। आज भी कुछ संस्कृतियों में मातृ सत्तात्मक परिवार सामाजिक ढाँचे की इकाई समझे जाते हैं। ऐसे परिवार में एक स्त्री एवं उसके बच्चे होते हैं। इस परिवार में पाँच संबंध पाये जाते हैं – माता–पुत्र, माता–पुत्री, भाई–भाई, बहन–बहन और भाई–बहन। मातृ केन्द्रीय परिवार किसी एक पुरुष या पुरुषों के समूहों के साथ यौन सम्बन्ध रखकर, ऐसे कोई परिवार उत्पन्न

कर सकता हैं। पिछले वर्षो में मानवशास्त्रियों ने मातृ केन्द्रीय परिवारों के निर्माण की प्रथम सीढ़ी माना हैं। वास्तव में परिवार एक समाज की लघु इकाई हैं। मानव समाज में प्रारम्भिक परिवार मातृसत्तात्मक थे। प्रारम्भ में लोग इस तथ्य को नहीं जानते थे कि गर्भधारण में पुरुष का भी स्त्री की तरह समान योगदान होता है। सामान्य धारणा यह थी कि संतान उत्पत्ति में स्त्री ही सब कुछ है। इसलिए बच्चा जन्म के बाद अपने पिता को नहीं जानता था। माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। इस स्थिति में मातृसत्तात्मक परिवार को जन्म दिया।

परिवार की बुनियाद हिल रही है। इस प्रकार की अगणित समस्याओं ने परिवार की संस्थाओं को घेर रखा है। अब इन समस्याओं के संदर्भ में परिवार का प्रारम्भिक स्वरूप क्या था?, परिवार का विकास किस प्रकार हुआ?, कौन से स्तरों से परिवार गुजरा हैं? ये सब प्रश्न व्यर्थ हैं। इसलिए आज देखने की आवश्यकता यह है कि परिवार के प्रकारों और भेदों को देखें तथा इनके संदर्भ में परिवार की आवश्यकताओं का निदान खोजें।

संयुक्त परिवारों में महिलाओं को अधीनता से जोड़ा जाता है। महिलाओं को घर के सभी कार्यों की जिम्मेंदारी सौंपी जाती हैं उन्हें खाना बनाने, सफाई करने कपडे धोने, एवं बच्चों के लालन–पालन की भूमिका में ही व्यस्त रखा जाता है। उनको मात्र यौन सहयोगी का दर्जा दिया जाता है, किन्तु पत्नी के वैधानिक व अन्य प्रकार के अधिकार नहीं दिये जाते। नये उभरते हुऐ परिवार इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएँ अब कुछ शक्ति प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ सम्बद्ध तथ्य यह हैं कि बाल–विवाह का स्थान वयस्क विवाह ने ले लिया हैं और लड़कियों में शिक्षा प्रसार भी तेजी से हो रहा हैं। विस्तृत होती अर्थव्यवस्था में महिलाएँ भी अब कार्य कर रही हैं तथा जीवन स्तर को उठा रही हैं। ऐसे परिवारों में पुरुष स्त्रियों को समान व्यवहार देने लगे हैं। यद्यपि कामकाजी महिलाओं के परिवारों के यह सब चर्चा नहीं होती हैं। महिला क्योंकि परिवार में कोई आर्थिक योगदान नहीं

देती हैं, अतः इन परिवारों में पुरुष उनसे अधिक सम्मान की अपेक्षा करते हैं। जब तक घर का कामकाज व बच्चों का लालन–पालन महिला का उत्तरदायित्व रहेगा, तब तक कोई भी परिवार व्यवस्था महिलाओं को पूर्ण बराबरी का दर्जा प्रदान नहीं करेगी।

महिलाओं की परिवार में भूमिका :

"यंत्र नार्यस्तु पूजस्ते, रमन्ते तंत्र देवता" अर्थात देवगण ऐसे स्थान पर वास करते हैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। संभवतः इसी भावना के तहत प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ई.पू. 3000 ई.पू. 2000 के पूर्व–आर्यन युग में महिलाएँ समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थीं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के मामले में वैदिक युग को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है लेकिन इसके बाद के कालखण्ड में महिलाओं की सामाजिक व धार्मिक स्थिति में क्षरण आना शुरू हो गया है। परिवार किसी भी मानव समाज की आधारशिला होता है। इसकी महत्ता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो परिवार की अवधारणा और इसके महत्त्व को विश्व के सभी देशों और सभी संस्कृतियों में प्रमुखता दी गयी है। लेकिन भारतीय परिवारों जैसे आदर्श परिवार और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। भारतीय परिवार की रचना कर्त्तव्य प्रधान है। जिसमें सभी सदस्यों सेवा–भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं और परिवार के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आज भारतीय परिवार संक्रमण–काल में हैं और परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी कर्त्तव्य और संयुक्तता की भावना को वे अपने में समेटे हुए हैं। परिवर्तन के इस युग में जब हर चीज बदल रही है तो भला परिवार इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। परिवार नामक यह सामाजिक संस्था आज आधुनिक प्रवृत्तियों से कुप्रभावित हो रही हैं। भूमण्डलीकरण और महानगरीय संस्कृति के इस दौर में संयुक्त परिवारों की अवधारणा दम तोड़ती जा रही हैं और उनका स्थान एकल

परिवार लेते जा रहे हैं। लेकिन इस परिवर्तन का एक सकारात्मक पक्ष भी है। कामकाजी महिलाओं की दिक्कतों को समझ कर परिवार की ओर से अब पूरा सहयोग दिया जाता है, उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को बाँटा जा रहा है। इस कारण महिलाओं की समाज में स्वतन्त्रता गतिशीलता को मान्यता मिल रही हैं और उन पर अनावश्यक सामाजिक बंधनों की पकड़ ढीली हो रही है। अभी तक ये बदलाव महानगरों और शहरों में ही अधिक तेजी से हो रहे हैं लेकिन गाँवों, कस्बों और निम्नवर्ग में भी बदलाव की यह बयार बहने लगी है। हालांकि उसकी गति अभी धीमी है। परिवार की आधुनिक प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख है, महिलाओं की शक्ति में वृद्धि। आधुनिक परिवार की महिलाएँ घर की दहलीज लांघ कर बाहर निकलने लगी हैं। व्यवसाय, उद्योग और नौकरियों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जिस कारण उनकी आर्थिक व सामाजिक हैसियत में सकारात्मक परिवर्तन आया हैं। महिलाओं में सामाजिक व राजनीतिक चेतना बढ़ी है। उनमें शिक्षा का प्रचार–प्रसार भी काफी अधिक हो चुका हैं। इस प्रकार परिवार में पत्नी ने सेविका के स्थान पर सहयोगिनी और मित्र की स्थिति प्राप्त कर ली है।

जिस प्रकार धुरी के कमजोर होने पर पहियों की गतिशीलता में कमी तथा धुरी न होने पर पहियों का कोई अस्तित्व नहीं हैं ठीक उसी प्रकार नारी के कमजोर होने पर परिवार कमजोर तथा नारी के न रहने पर परिवार या समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार संस्था संगठित होने के स्थान पर तार–तार हो जाता है और बिखर जाता है। नारी का परिवार के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है, संवेदन सूत्र परिवार को आपस में जोड़े रहते हैं। नारी के शिक्षित न होने या उसका सही विकास न होने पर परिवार समाज को नष्ट होने, बिखरने में लेशमात्र समय नहीं लगता है। नारी के महत्त्व परिवार, समाज व देश की उपयोगिता के संबंध में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "एक पुरुष के शिक्षित सुसंस्कृत होने का अर्थ है अकेले उसी का उपयोगी बनना। परन्तु एक स्त्री

यदि शिक्षित, समझदार और सुयोग्य हो तो समझना चाहिए कि पूरे परिवार के सुसंस्कृत बनने का सुदृढ़ आधार बन गया।' यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि परिवार में सुख, शान्ति, शौम्यता, सुव्यवस्था और सुसंस्कारिता भरा वातावरण बनाये रखने के लिए जिम्मेदारी भारी की है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं अपना स्वयं का व्यवहार भी उसी स्तर पर रखे – छोटों के प्रति दुलार–स्नेह, बराबर वालों के प्रति प्रेमपूर्ण स्निग्ध व्यवहार तथा बड़ों के प्रति परिवार की भावनात्मक और विचारात्मक जिम्मेदारी बड़ी सरलता से पूर्ण कर सकती हैं। उनके इस दायित्व वहन से टूटती, बिखरती परिवार संस्था फिर से अपना खोया सौंदर्य पा सकती है। इस प्रकार परिवार की धुरी बनकर समाज के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर महिलाएँ श्रम शक्ति का स्रोत हैं जिसका उपयोग विविध प्रकार के उत्पादन में तथा परिवार को बचत और आय बढ़ाने में होता है।

- पारिवारिक स्तर पर महिलाओं का योगदान भोजन, ईंधन, जल प्रगति, घरेलू कार्य और कृषि से आय प्राप्ति में होता है।
- अन्तःपीढ़ी स्तर पर वे पुश्तैनी निश्चितता, नवशक्ति और सामाजिक मूल्यों को संजोने का काम करती हैं। ये काम बच्चों के लालन–पालन, उसके प्रारम्भिक शिक्षा और सामाजिक संस्कारीगण के माध्यम से होता है। महिलाओं की इन बहुआयामी भूमिकाओं के महत्त्व को ठीक से नहीं पहचाना गया। तमाम भेदभाव के होते हुए भी वे आर्थिक वृद्धि और विकास में उल्लेखनीय योगदान करती हैं। विकासशील देशों में प्रधान भोज्य वस्तु उत्पादक है। नगद आमदनी अर्जित करने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। गृह एवं कुटीर उद्योगों में भी उनका योगदान महत्त्वपूर्ण है। फिर भी उनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में उचित महत्त्व नहीं मिलता। क्योंकि उनका अधिकांश काम अवैतनिक होता है। यह पाया गया है कि जितना ही गरीब

परिवार होता है महिलाओ को उसी अनुपात में अधिक घंटे काम करना होता है और अर्थव्यवस्था में उनका उतना ही अधिक हिस्सा होता हैं। शिक्षा महिलाओं की स्थिति की बुनियाद का दूसरा पत्थर है जो सहभागिता से निकटता से जुड़ा है। ऊँची शिक्षा से ही प्रतिष्ठामूलक पद मिल पाते हैं। शिक्षा बौद्धिक क्षमता बढ़ाती हैं जिससे महिलाओं को अपनी योग्यता और शक्ति का ज्ञान होता हैं। इससे आत्म–विश्वास बढ़ता है तथा अधिकार माँगने की योग्यता भी आती है। फलतः शिक्षित महिलाओं को परिवार तथा बाहर भी अधिक ध्यान दिया जाता हैं। शिक्षित महिलाएँ पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र होती हैं। पुनः पितृप्रधान परिवार में शिक्षित महिलाएं दबाव को झेलने में अधिक समर्थ होती हैं। वैवाहिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका होती हैं। अधिक स्वायत्तता के साथ ही शिक्षित महिलाओं का भौतिक साधनों पर नियंत्रण अधिक हो जाता है। दूसरे, शिक्षा से घर के बाहर रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं जिससे महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होती हैं। फलतः पुरुषों के साथ समान व्यवहार कर पाती हैं। शिक्षा से अपने पति और बच्चों पर अधिक ध्यान दे पाती हैं। शिक्षा से बाह्य जगत की सूचनाओं के स्रोत खुल जाते हैं जो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं।

भारतीय नारी के स्वरूप को बदलने के लिये निम्न उपाय करना चाहिए –

- प्रत्येक परिवार की यह जिम्मेदारी हैं कि वह बालिकाओं को समुचित शिक्षा, पोषण तथा अन्य गतिविधियो का ध्यान रखें।
- प्रत्येक महिला को ऊपर उठकर सामने आना होगा जिससे वह अपना अधिकार खुद माँग सके।
- महिला सामूहिक जन आंदोलन तथा दहेज विरोधी आंदोलन महिला संगठन बनाकर किये जाएं।

- स्त्री स्वयं स्त्री की सहायिका बने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग ले।
- समाज में उच्चपद प्राप्त करने हेतु महिलाएं स्वयं नवजागृति आंदोलन चलाये और समाज के प्रत्येक परिवार की स्थिति को समझे।
- महिलाओं के विकास के लिये समुचित मशीनरी विकसित की जाये।
- महिलाओं/बालिकाओं के साथ होने वाला हर प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाए।
- बाल वेश्यावृत्तियां रोकी जाएं तथा बिचौलियों को कठोर दण्ड दिया जाये जो ऐसा करने पर बालिकाओं को मजबूर कर देते हैं।
- महिलाओं के उत्पादन स्रोतों शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बराबरी का अधिकार दिया जाये।
- महिलाओं की राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाये जाये।
- नारी स्वयं नारी का उत्थान करें जिससे महिलाओं में सामूहिक जागृति पैदा हो सके।
- महिलाओं को स्वयं अपना चहुंमुखी विकास करने के लिये आगे आना होगा चाहे क्षेत्र शिक्षा का हो या खेलकूद चिकित्सा का।
- नारी की अतिवादी मानसिकता दूर करने हेतु उसे सीमित जनसंख्या साक्षरता का महत्त्व आदि समझाएं।
- नारी को "सीमित परिवार सुख का आधार" तथा "दो ही बच्चे घर में अच्छे" आदि से अवगत कराएं।

➢ महिलाओं में शिक्षा का स्तर सुदृढ़ कर दिया जाय ताकि वह आने वाली पीढ़ी को पढ़ा–लिखा सके।

परिवार शब्द की अवधारणा :

'Famly' शब्द का उद्‌गम लैटिन भाषा 'Famulus' से हुआ है जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिससे माता–पिता, बच्चे नौकर और दास हो, साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती हैं, किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति–पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे। यह सम्भव हैं कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं हैं।

परिवार के मूल्यांकन में तीन उपागमों को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया हैं – 1. प्रकार्यावादी, 2. संरचनावादी, 3. अन्तर्क्रियावादी। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत परिवार का इन बिन्दुओं के आधार पर आंकलन करते हैं – (अ) उन कार्यों के आधार पर जो परिवार सम्पादित करता है तथा पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इसका योगदान। (ब) समाज व्यवस्था के अन्य अवयवों तथा परिवार के बीच प्रकार्यात्मक सम्बन्ध। (स) व्यक्तिगत सदस्यों के प्रति परिवार के कार्य। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में परिवार को एक विशेष समय पर अन्तःसम्बन्धित परिस्थितियों तथा भूमिकाओं की संरचना के संबंध में तथा इसका अपने सदस्यों के प्रति सुगठित अधिकारों व दायित्वों के अन्तःसम्बन्धों की संरचना के रूप में देखा जाता हैं। अन्तर्क्रियावादी परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत परिवार अपने सदस्यो के बीच अन्तःक्रिया से सम्बन्धित है।

➢ गेराल्ड लेसिले ने परिवार की परिभाषा दो भिन्न लिंगो के वयस्क लोगों के समूह के रूप में बताई हैं जो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त यौन संबंध

स्थापित करते हुए रहते हैं और साथ में उनके अपने बच्चे या गोद बच्चे भी होते हैं।

- मर्डाक ने परिवार की परिभाषा करते हुए कहा है कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पायी जाती है।

परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें माता–पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन–संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएँ जुटाना है।

मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ ऐसी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया हैं जो सभी समाजों में पायी जाती हैं –

- विवाह संबंध – प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है।
- विवाह का एक स्वरूप – प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचालित होता है जो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह आदि हो सकता है।
- वंशनाम – परिवार में बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से।
- अर्थव्यवस्था – प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण–पोषण के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पायी जाती है।
- सामान्य निवास – प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं, उसे वे घर कहते हैं।

परिवार के प्रकार :

मानव समाज के विकास के साथ–साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आये हैं। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने

भिन्न–भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। सदस्यों की संख्या विवाह का स्वरूप, स्त्री–पुरुष की सत्ता, निवास, वंशनाम, आदि के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया जाता है। भारत में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार से है –

1. **संख्या के आधार पर –**

(क) केन्द्रीय परिवार या नाभिक परिवार

(ख) संयुक्त परिवार

(ग) विस्तृत परिवार

2. **निवास के आधार पर –**

(क) पितृ–स्थानीय परिवार

(ख) मातृ–स्थानीय परिवार

(ग) नव–स्थानीय परिवार

(घ) मातृ–पितृ स्थानीय परिवार

(च) मामा–स्थानीय परिवार

(च) द्वि–स्थानीय परिवार

3. **अधिकार के आधार पर –**

(क) पितृ सत्तात्मक परिवार

(ख) मातृ सत्तात्मक

4. **उत्तराधिकार के आधार पर –**

(क) पितृ–मार्गी परिवार

(ख) मातृ–मार्गी परिवार

5. **वंश के आधार पर –**

(क) पितृ वंशीय परिवार

(ख) मातृ वंशीय परिवार

(ग) उभयवंशीय परिवार

(घ) द्विनामी परिवार

6. **विवाह के आधार पर –**

(क) एक विवाही परिवार

(ख) बहु विवाही परिवार

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहभागिता :

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता नवीन आयामों का विस्तार हुआ हैं। एक ओर संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान करके लैंगिक आधार पर की जाने वाली असमानता को सैद्धान्तिक रूप से समाप्त कर दिया है तो दूसरी ओर विकास कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम अपनाये गये हैं। इनके कार्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई हैं। स्वतन्त्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की बहुत सी महिलाएँ उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वारा जीविका उपार्जित करती थी तथापि मध्य और उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात् एक बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया।

आज शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योगों और कार्यालयों में महिला अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही

है। भारतीय महिलाओं की मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। स्वतंत्रता में जीविका उपार्जित करने वाली महिलाएँ आज अन्य महिलाओं के लिए एक आकर्षण हैं और आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण परिवार में उनके महत्त्व की वास्तविकता तो यह है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता मिल जाने के कारण उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में प्रगति हुई है।

हिन्दू महिलाओं का सामाजिक जीवन आज स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले के समय से बिल्कुल भिन्न है। जिन परिवारों में कुछ वर्ष पहले तक महिलाओं के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, उन्हीं परिवार की महिलाएँ आज खुली हवा में साँस ले रही हैं। जिन रूढ़ियों को महिलाओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन का आदर्श बना रखा था, उन रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ती जा रही है और ऐसे संगठनों की सदस्यता दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। के.एम. पणिक्कर के अनुसार कुछ मेधावी महिलाओं ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है वह भारत के लिए उतने महत्त्व की बात नही है जितना यह बात है कि कट्टरपंथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार भी करवट लेने लगे हैं। यहाँ महिलाएँ उन सामाजिक बन्धनों से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और बावाक्य प्रमाण की विचारधारा के द्वारा जकड़ रखा था। निश्चित ही भारतीय महिलाओं की स्थिति में होने वाले ये परिवर्तन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इस दिशा में 1957 से ही इसके लिए प्रयास आरम्भ हो गए थे।

5. **Review of Work Already Done on the Subject of Proposed Research Study :**

अध्ययन विषय पर पूर्व में किये गये कार्यों का सिंहावलोकन :

शोध विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती साहित्य का पुनरावलोकन शोध अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। शोध से संबंधित पूर्व ज्ञान के लिए निम्न साहित्य का पुनरालोकन किया गया –

- ए.आर.देसाई (1957) ने अपने निष्कर्ष में लिखा है, अधिकाधिक महिलाएं अब अपने आत्मसम्मान और व्यक्तित्व के विकास को जीवन का लक्ष्य मानने लगी हैं। आज हिन्दू समाज के दो आधारस्तम्भ सांस्कारिक विवाह और संयुक्त परिवार अब शिथिल पड़ रहे हैं। बहुत सी सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाएं कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व साथ–साथ परिवार पर लम्बे समय से कार्य कर रही हैं।

- रार्बट ब्लूड (1963) के अनुसार महिलाएँ आय को बढ़ाने के लिए, जिससे जीवन–स्तर का ऊँचा हो सके, खाली समय में अर्थोपार्जन में लग जाती हैं, जिससे परिवार में द्वन्द्व होते हैं।

- प्रमिला कपूर (1970) ने कामकाजी विवाहित भारतीय महिलाओं पर अध्ययन किया और पाया की हर परिवार के सदस्य और यहाँ तक की समाज की भी यही चाहत हैं कि लड़की, पत्नी, बहू नौकरी करें क्योंकि इससे परिवार को आर्थिक तथा उन्हें कुछ लाभ मिलता है।

- **यूरोपीय समाज शास्त्रीय फोगौटो और रेपोपोटे** (1971) ने एकाकी परिवार की महिलाओं पर अध्ययन किया उन्होंने पाया कि परिवार की आय में वृद्धि करने के लिये पति–पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। स्पष्ट है कि इन महिलाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त हैं। यद्यपि महिला की आय परिवारिक आय का

आधार नहीं होती किंतु उसका एक अंश अवश्य होती हैं, साथ ही इससे परिवारिक जीवन सुखी होता है।

- डॉ. आर.पी. तिवारी एवं डॉ. डी.पी. शुक्ला (1999) ने अपनी पुस्तक "भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान" में इंगित किया गया है कि भारतीय समाज में नारी की वर्तमान समस्याएं के प्रति उदारवादी स्वरूप धारण करना होगा और नारी की इस द्वैतवादी विडम्बना से बाहर निकाल कर उसे पुरुष के समान अधिकार, मौलिक चिन्तन के लिए परिवेश, आत्मोत्थान के लिये नवीन दिशा और विकास कें लिये समुचित अवसर प्रदान करने होंगे।

- मान चन्द्र खंडेला (2006) ने "आधुनिकता और महिला उत्पीड़न" में आधुनिक महिलाओं को और विशेष रूप से कामकाजी क्रियाशील, महत्त्वाकांक्षी और पढ़ी–लिखी महिलाओ को अलग प्रकार की पारिवारिक हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक उपेक्षा एवं उपहास, आर्थिक शोषण एवं भेदभाव और राजनीति प्रतियोगिता एवं प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय समाज में ऐसी ही विडम्यनापूर्ण वास्तविकताओं को वस्तुपरक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें थोथी आधुनिकता, दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों, देह व्यापार के वदलते स्वरूप, घटते महिला अनुपात, बाल–विवाह की मजबूरियों, पारिवारिक परिस्थितियों में बालशोषण, बढ़ती भ्रूण हत्या, मीडिया द्वारा महिला के चित्रण तथा इन सबसे संभावित उत्पीड़न को तर्कपूर्ण और वस्तुपरक रूप में प्रस्तुत किया है।

- ज्ञानेन्द्र रावत (2006) द्वारा संपादित पुस्तक "औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति समर्पित है। इस पुस्तक में भारतीय समाज में अद्यतन रूप में नारी आंदोलन के विविध आयाम उनकी समस्याओं तथा उसकी समाजशास्त्रीय भूमिका

आदि मुद्दों पर विभिन्न महिला आंदोलनों से संबम्द्ध लेखकों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों, चिंतकों एवं पत्रकारों के लेखों का संकलन शामिल है।

- **कमलेश कुमार गुप्ता** (2007) ने अपनी पुस्तक "महिला सशक्तिकरण" में महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक, राजनीतिक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता का विश्लेषण किया है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग एवं उसके महिला विकास में योगदान की चर्चा की है।

- **मजूं शर्मा** (2008) ने अपनी पुस्तक "कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप" में हमारे समाज में कोई सबसे अधिक हताश हुआ है तो वे स्त्रियां ही हैं और इस वजह से हमारा अधःपतन भी हुआ है। स्त्री–पुरुष के बीच जो फर्क प्रकृति से पहले है और जिसे खुली आँखों से देखा जा सकता है, दरअसल हमें समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए कि जिस प्रकार स्त्री घर के कामकाज को आत्म–विश्वास तथा उत्साहपूर्वक करती है उसी तरह समाज के कामकाज में भी साझेदारी करने लगे और स्त्री–पुरुष दोनों स्वाभाविक सहजीवन का आनन्द उठा सके।

- **तुलसी पटेल** (2011) ने अपनी पुस्तक "भारत में परिवार संरचना एवं व्यवहार" में भारतीय परिवार के संबंध में व्याप्त संयुक्त–एकाकी विभाजन की रूढ़िवादी अवधारणा से कही आगे जाकर इसकी प्रकृति प्रकार तथा प्रक्षेप पथ का अध्ययन करती है। विभिन्न कार्य प्रणाली विषयक, धारणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें भारतीय परिवार की समग्रता को जानने का प्रयास किया गया हैं।

- **अनीता मोदी** (2011) में अपनी पुस्तक "महिला सशक्तीकरण विविध आयाम" में महिलाओं से संबंधित विविध पहलुओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व राजनीति आदि का तार्किक, सम्यक व विशद विश्लेषण किया है।

सामाजिक–आर्थिक विकास की अवधारण महिलाओं के विकास व सशक्तीकरण के बिना अधूरी है।

- **प्रतिमा चतुर्वेदी** (2012) ने अपनी पुस्तक "भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण" में भारत में आजादी के बाद महिलाओं के क्षेत्र में काफी उतार–चढ़ाव आये हैं। अब तक की सभी सरकारों ने महिला सशक्तीकरण के लिए काफी प्रयास किये हैं। महिलाओं की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या अशिक्षा थी जिसके समाधान के लिए काफी प्रयास हुए।
- **डॉ. श्रीमती कामिनी जैन एवं डॉ. संध्या गुरे** (2012) ने अपनी पुस्तक "कार्यकारी महिलाएँ" में भारत में कार्यकारी महिलाओं की रचना का मूल उद्देश्य उनसे से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यों एवं पहलुओं से जनसाधारण विशेषकर कार्यकारी महिलाओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना है।
- **अशोक नायक एवं हर्षित द्विवेदी** (2013) में अपनी पुस्तक "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता" में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है।

6. Research Gaps Identified in the Proposed Field of Investigation:

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधान अन्तराल का सत्यापन :

समकालीन परिवार की अवधारणात्मक विवेचन में. महिलाओं की भूमिका चिंतन का प्रमुख विषय रहा है। परन्तु परिवार में महिलाओं की भागीदारी कहीं तो उत्साहवर्धक है लेकिन कहीं–कहीं महिलाओं को घर में परिवार के कार्य के साथ–साथ बाहरी कामकाजों में भी महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि महिलाओं परिवार के कार्य के साथ–साथ बाहरी कार्यों में भी वांछित हो रही हैं। अतः इस विषय पर गहन अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता हैं साथ ही महिलाओं की वर्तमान स्थिति, सामाजिक चुनौतियों और अवसरों को उद्घाटित करते हुए आनुभाविक अध्ययन के आधार पर वांछित कार्य योजना संस्तुत करने वाले अध्ययनों की कमी है। अतः इस अन्तराल को भरने के उद्देश्य से प्रस्तावित शोध के विषय को चुना गया है।

7. Objectives :

उद्देश्य :

अध्ययन मे सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत सैद्धान्तिक व व्यावहारिक परिचय की प्रमुखता से पूर्ति की जाती है। प्रत्येक शोध कार्य कुछ मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य है –

- परिवार में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करना।
- परिवार में सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।
- परिवार में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका, पारस्परिक कुरीतियों एवं महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करना व महिलाओं के सशक्तीकरण की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना।
- परिवार में महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।
- परिवार में महिलाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यावहारिक सुझाव देना।

8. Major Hypothesis :

अध्ययन की मुख्य उपकल्पना :

प्राक्कल्पना या उपकल्पना किसी समस्या के समाधान के विषय में अग्रिम (पूर्व सोचा गया) विचार है। यह शोध क्रिया का अस्थायी केन्द्रित किन्तु अति महत्त्वपूर्ण विचार है जिसे अनुसंधान का मार्गदर्शक कहा जाता है।

- ➢ परिवार में महिलाओं के शिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण महिलाओं की पारिवारिक कार्य के साथ–साथ कामकाजी महिलाओं व उनके परिवार के सामाजिक व आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है।
- ➢ परिवार में महिलाओं की संचार माध्यम के द्वारा महिलाओं की जीवन शैली में परिवर्तन आया है।
- ➢ आधुनिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार से महिलाओं की परिवार में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक निर्णयों में भूमिका प्रमुख हुई है।
- ➢ परिवारों में महिलाओं के कामकाजों एवं आर्थिक स्तर में भी परिवर्तन आया है।
- ➢ परिवारों में महिलाओं का महिला सशक्तीकरण में भी योगदान होता है।

9. Materials and Methods/Research Methodology :

अध्ययन हेतु सामग्री एवं अनुसंधान की पद्धतियाँ :

प्रस्तुत शोध समकालीन परिवार में महिलाओं की भूमिका के समाजषास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर केन्द्रित है। इस शोध हेतु राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है।

प्रस्तुत शोध में बीकानेर शहर में रहने वाले परिवारों में महिला सदस्यों का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित अनुंसधान में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही पद्वतियों की सहायता से तथ्यों का संकलन एवं विष्लेषण किया जायेगा तथा इस शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जायेगा। प्रस्तुत शोध में सूचनादाताओं एवं अध्ययन इकाइयों का निर्धारण उद्देश्यपूर्ण एवं दैव निदर्षन द्वारा किया जावेगा। इसके लिए 250 लोगों से विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए समाजषास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया जायेगा। अध्ययन के रूप में बीकानेर शहर का चयन किया गया है। प्रस्तावित शोध कार्य में तथ्यों के प्राथमिक स्रोत के रूप में साक्षात्कार एवं साक्षात्कार अनुसूची एवं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति तथा अवलोकन पद्धति द्वारा तथ्यों का संकलन किया जायेगा। इसके साथ–साथ द्वितीयक स्रोतों में पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकालयों एवं पूर्ण उपलब्ध प्रकाषित एवं अप्रकाषित साहित्य में पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकालयों एवं पूर्व उपलब्ध प्रकाषित एवं अप्रकाषित साहित्य का सहारा लिया जाएगा। विषय के गहन अध्ययन के लिए दृष्य–श्रव्य साधनों का भी उपयोग किया जायेगा।

10. Chapterwise Details of Proposed Research :

प्रस्तावित अनुसंधान का प्रारम्भिक अध्याय विवरण :

प्रथम अध्याय : समकालीन परिवार में महिलाओं की भूमिका के अवधारणात्मक पहलू।

द्वितीय अध्याय : शोध प्रारूप एवं पद्धति।

तृतीय अध्याय : महिला उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति।

चतुर्थ अध्याय : समकालीन परिवार में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन।

पंचम अध्याय : परिवार में महिलाओं के प्रभावों का अध्ययन।

षष्ठम अध्याय : निष्कर्ष एवं सुझाव।

संदर्भ ग्रन्थ, नोट्स, साक्षात्कार, अनुसूची तथ्यों की प्राप्ति के उपरान्त उपर्युक्त अध्याय प्रारूप को परिवर्तित किया जा सकता है।

11. Bibliography:

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Ahmad, I. Family, Kinship and Marriage Among Muslims in India. Delhi : Manohar, 1976.

2. Bebel, A.F. Women in the Past, Present and Future, London : The Modern Press, 1885.

3. Beteille, A. 'The Family and the Reproduction of Inequality', in P. Uberoi (ed.), Family, Marriage and Kinship in India, pp. 435-51. New Delhi: oxford University Press, 1993.

4. Burgess, E.W. and H.J. Locke. The Family. New York: American Book co. Census of India. 1951a. Report. Vol. I, Part I-A. Bombay. Office of the Registrar General, 1943.

5. Chand, S.K. 'Urban Development Trends in India'. Indian Economic Association, 39th Annual Conference, 1956.

6. Chant, S. Women and Migration in Developing Countries, London : Belhaven, 1992.

7. Desai, I.P. 'The Joint Family in India: An Analysis' Sociological Bulletetin, V(2): 144-56, 1956.

8. Gillis, John R. World of Their Own Making: A History of Myth and Ritual in Family Life. Oxford: Oxford University Press, 1997.

9. Goody, J. World Revolution and Family Patterns. New York : Free Press, 1963.

10. Kapadia, K.M. 'Rural Family Patterns: A Study in Urban-Rural Relations'. Sociological Bullentin, V (2): 111-26, 1956.

11. Kapadia, K.M. Marriage and Family in India. 2nd Edition. Bombay: Oxford University Press, 1958.

12. Lastett, P. and R. Wall (eds). Household and Family in Past Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

13. Palriwala, R. Changing Kinship, Family, and Gender Relations in South Asia, Leiden: VENA (Woman and Autonomy Centre), 1994.

14. Prabhu, P.N. Hindu Social Organization. Bombay : Popular Book Depot, 1954.

15. Radcliffe-Brown, A.R. Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen and West, 1952.

16. Shah, A.M. 'The Family in the Census of India', Sociological Bulletin, 48 (1&2): 235-38, 1999.

17. Sharma, U. Women's Work, Class, and the Urban Household: A Study of Shimla, North India. London: Tavistock, 1986.

18. Simpson, B. "Bringing the 'Unclear Family' into Focus : Divorce and Remarriage in Contemporary Britain", Man (n.s.) 29:831-51, 1994.

19. Uberoi, P. (ed.). Family, Marriage and Kinship in India, New Delhi: Oxford University Press, 1993.

20. Yanagisako, S. 'Family and Household : The Analysis of Domestic Groups'. Annual Review of Anthropology 8:161-205, 1979.

21. अंसारी, एम. ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2001.

22. आम्टे, डॉ. प्रभा : भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1996

23. आरजू, एम. एच. : भारतीय महिला और आधुनिकरण, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1993.

24. अशोक नायक, हर्षित द्विवेदी : पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व – महिलाएं एवं राजनीतिक सहभागिता, पोईंटर पब्लिशर्स, 2013

25. अग्रवाल, जे. सी. : भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.

26. ब्होरा, आशारानी : नारी शोषण : आईने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1994.

27. बोहरा, आशा : भारतीय नारी–दशा दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.

28. चतुर्वेदी, प्रतिभा : भारत में महिला साक्षरता और सशक्तीकरण, वाईकिंग बुक्स, 2012

29. दाधीच, प्रमिला : आधुनिक समाज में कार्यशील महिलाएं, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, 2009

30. इन्द्र, एम. ए. : प्रचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति, मोतीलाल पब्लिशर्स, बनारस, 1965

31. जैन, कामिनी, मुरे, संध्या : कार्यकारी महिलाएं, रेंगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012

32. जैन, अरविन्द : औरत होने की सजा, विकास पेपर बैक्स, दिल्ली, 1994.

33. किशोर, राज : स्त्री के लिए जगह, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994.

34. महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, 2011

35. मोदी, अनिता : महिला सशक्तीकरण विविध आयाम, वाईकिंग बुक्स, जयपुर, 2011

36. मिश्रा, डॉ. प्रीति : हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्त्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005.

37. पाण्डेय, प्रवेश कुमार : वर्तमान परिदृश्य और महिला सशक्तीकरण, पोईंटर पब्लिशर्स, 2016

38. पटेल, तुलसी : भारत में परिवार संरचना एवं व्यवहार, रावत पब्लिकेशन्स, 2011

39. 'सत्य' सुभाष चन्द्र : भारतीय नारी : कितनी जीती कितनी हारी, अनिल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994.

40. सिंह, डा. निशान्त : औरत, अस्मिता और अपराध, राजभाषा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002

41. श्रीवास्तव, सुधारानी : महिलाओं के प्रति अपराध, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003.

42. श्रीवास्तव, सुधारानी : श्रीवास्तव, आशा, महिला शोषण और मानवधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004.

43. शर्मा, मंजु : कार्यशील महिलाओं का समाज में बदलता स्वरूप, राज पब्लिशिंग हाउस, 2008

44. शर्मा, मंजु : नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क पब्लिशर्स, जयपुर, 2009

45. शर्मा, प्रज्ञा : महिला विकास और सशाक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.

46. शर्मा, प्रज्ञा : भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.

47. शर्मा, नीरजा : महिला सशक्तीकरण, आस्था प्रकाशन, 2013